दिनांक 25.08.2018 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में बामेती परिसर, पटना के सभाकक्ष में आयोजित राज्य स्तरीय मासिक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– पंजी में संधारित

सर्वप्रथम कृषि निदेशक, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

बैठक की कार्यवाही :–

1. कृषि निदेशक, बिहार द्वारा कृषि समन्वयकों की नियुक्ति के सम्बंध में निदेश दिया गया कि जिन कृषि समन्वयको का प्रमाण पत्र सत्यापन में सही पाया गया है, उनका कोषागार से PRAN NO बनवाकर वेतन भुगतान किया जाय। प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में जिन कृषि समन्वयकों का प्रमाण पत्र गलत पाया गया है, उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाय तथा उनके निलम्बन की कार्रवाई की जाय।

क्षेत्र से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ कृषि समन्वयक अपने क्षेत्र में नहीं रह रहे है एवं अपने कार्यो/दायित्वों का निर्वहन भी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। निदेश दिया गया कि वैसे कृषि समन्वयकों का वेतन बन्द कर दें। वे अभी Probation Period में है। अतः उनका Probation समाप्त करने की कार्रवाई की जाय।

निदेश दिया गया कि कृषि समन्वयकों के Performance Appraisal के लिए प्रक्रिया तैयार किया जाय एवं इस पर प्रधान सचिव के माध्यम से माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। निदेश दिया गया कि कृषि समन्वयकों का GPS Location के App के माध्यम से उपस्थिति लिया जाय एवं इसके माध्यम से ही इनका वेतन भुगतान किया जाय एवं इसके लिए Software Develop करवाया जाय।

(अनु0–निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव, कृषि विभाग)

2. कुछ जिला कृषि पदाधिकारी आज की बैठक में विलम्ब से आये एवं कुछ उपस्थित नहीं पाये गये। कृषि निदेशक, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि माह में एक बार बैठक होती है। इसमें सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को भाग लेना अत्यावश्यक है। यदि जिला पदाधिकारी बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं देते है, तो मुझसे बात करायेंगे। निदेश दिया गया कि आज की बैठक में जो जिला कृषि पदाधिकारी विलम्ब से आये है उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाय तथा जो अनुपस्थित हैं, वे आज की तिथि 25.08.2018 का वेतन निकासी नहीं करेंगे।

(अनु0–संयुक्त निदेशक, शष्य योजना)

3. फसल आच्छादन एवं आकस्मिक फसल योजना :–धान आच्छादन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जमुई जिला में अभी तक 68 प्रतिशत धान आच्छादन हुआ है। अलीगंज एवं सिकन्दरा प्रखण्ड में अभी तक 60 प्रतिशत धान का आच्छादन हुआ है। सूचित किया गया कि जमुई जिला में आज ड्रोन द्वारा धान आच्छादन का सर्वे किया जा रहा है। अलीगंज में वैकल्पिक फसल के रूप में तोड़िया लगाने का सुझाव दिया गया।

नवादा जिला के 4 प्रखण्डों यथा–पकरीबरामा, रोह, वारसलीगंज एवं काशीचक में अभी तक 60 प्रतिशत से कम धान का आच्छादन हुआ है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि

बेगूसराय जिला में 98.7 प्रतिशत क्षेत्र में विभिन्न फसलों का आच्छादन हो गया है। साम्ह प्रखण्ड में शत–प्रतिशत क्षेत्र विभिन्न फसलों से आच्छादित हो गया है।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गया जिला के बाड़ाचट्टी एवं डुमरिया प्रखण्ड में 60 प्रतिशत से कम धान का आच्छादन हुआ है। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आकस्मिक फसल में कुलथी एवं तोड़िया की आवश्यकता है। मक्का एवं अरहर का बीज जिला में उपलब्ध है।

जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि जिला में 90 प्रतिशत धान का आच्छादन हो गया है। मात्र मोदनगंज प्रखंड में समस्या है। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आकस्मिक फसल के लिए अरहर, तोड़िया एवं मक्का बीज की मांग है।

वैशाली जिला में अभी तक 76 प्रतिशत धान का आच्छादन हुआ है। आकस्मिक फसल हेतु अरहर बीज की मांग है। बी0आर0बी0एन0 के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि दरभंगा में उपलब्ध अरहर बीज को वैशाली भेजवा दें।

(अनु0–बिहार राज्य बीज निगम)

शेखपुरा जिला के अररिया प्रखण्ड में 57 प्रतिशत धान का आच्छादन हुआ है। यहाँ आकस्मिक फसल हेतु बीज भेजने का निदेश दिया गया।

(अनु0–बिहार राज्य बीज निगम)

कृषि निदेशक, बिहार से अनुरोध किया गया कि जिन जिलों में आकस्मिक फसल का बीज उपलब्ध है एवं उन्हें बीज की आवश्यकता नहीं है, उन जिलों से आवश्यकता वाले जिलों में बीज भेजने की कार्रवाई तुरन्त की जाय।

(अनु0–उप निदेशक, शष्य, बीज)

4. **डीजल अनुदान** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में अभी तक कुल 15,75,001 किसानों का पंजीकरण हो चुका है। डीजल अनुदान हेतु 5,35,393 किसानों ने आवेदन दिया है, जिसमें 1,15,047 कृषकों को 1109.33 लाख रू0 बैंकों द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ किसान गलत तरीके से डीजल अनुदान लेने की कोशिश कर रहे हैं, निदेश दिया गया कि जो किसान गलत अभिश्रव देते हैं, उसकी जॉच/सत्यापन कर उनपर प्राथमिकी दर्ज की जाय। जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि कुछ कृषक का खाता कॉर्पोरेशन बैंक में है, उनको डी0बी0टी0 नहीं हो पा रहा है। ऐसे किसानों का बैंक खाता में डी0बी0टी0 किया जाय। निदेश दिया गया कि मात्र आधार लिंक बैंक खाता में ही राशि डी0बी0टी0 हो सकती है। कुछ किसान आवेदन पत्र में बैंक खाता दूसरा दे रहे हैं तथा आधार से लिंक खाता दूसरा है, इस कारण भी समस्या हो रही है। निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा डी0बी0टी0 किये जाने सम्बंधी 25 दिनों की घोषणा मात्र आधार लिंक बैंक एकाउन्ट के लिए है। सूचित किया गया कि फसल सहायता योजना में भी पंजीकृत कृषक की अनिवार्यता लागू कर दी गई है।

डीजल अनुदान हेतु लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पटना, सुपौल, नालन्दा, कटिहार, अररिया, सहरसा, समस्तीपुर एवं वैशाली में बहुत

अधिक है। इन जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

5. अपर निदेशक (शष्य) द्वारा सभी संयुक्त निदेशक (शष्य), जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक, आत्मा एवं सहायक निदेशक, उद्यान को निदेश दिया गया कि गत वर्ष की सभी योजनाओं का अंकेक्षण करा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजा जाना है। जब तक अंकेक्षण नहीं होता है, औपबंधिक उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया जाय ताकि भारत सरकार को इसे भेज कर प्रथम किस्त की राशि प्राप्त की जा सके। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि प्रपत्र 42A में उपयोगिता प्रमाण पत्र बजट शाखा को उपलब्ध करा दें ताकि इसका महालेखाकार से समायोजना हो सके।

(अनु0–सभी सम्बंधित पदाधिकारी)

6. अपर निदेशक (शष्य) द्वारा कृषि निदेशालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में महालेखाकार बिहार के लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन/आपत्ति कंडिकाएँ की जानकारी दी गई। वर्ष 2016–17 में किये गये अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, सुपौल, समस्तीपुर एवं अररिया तथा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं मसौढ़ी से अप्राप्त है। वर्ष 2017–18 का अनुपालन प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान, सहरसा, शिवहर, सासाराम एवं गया से लम्बित है। सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को इसका अनुपालन कराकर महालेखाकार को भजने एवं एक प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, अन्यथा मामला C.A.G. की कंडिका में परिवर्तित हो जाएगा।

(अनु0–सम्बंधित प्रमंडलीय स0नि0,शष्य/सम्बंधित पदा0)

7. अपर निदेशक (शष्य) द्वारा अकार्यरत/अनावश्यक बैंक खाता को बन्द करने, दिनांक 31.3.2018 तक व्यय करने के बाद अवशेष राशि/या जितनी राशि की आवश्यकता है उतनी राशि रख कर शेष राशि को विभागीय निदेशानुसार सम्बंधित शीर्ष में जमा करने का निदेश दिया गया, इससे सम्बंधित विहित प्रपत्र भेजा जा रहा है। विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। कृषकों की सूची पर राशि की निकासी कोषागार से नहीं करने तथा खर्च के बाद अभिश्रव के विरूद्ध ही कोषागार से राशि की निकासी करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जि0कृ0पदा0/परि0निदे0, आत्मा)

8. निदेश दिया गया कि जिन प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों का स्थानान्तरण हो गया है उन्हें अविलम्ब विरमित कर दिया जाय। नये पदस्थापना स्थान से ही उनका वेतन भुगतान किये जाने का आदेश है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को प्रखण्डवार प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों की रिक्ति की सूचना आज की बैठक में ही उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

9. संयुक्त निदेशक (शष्य) योजना द्वारा जिला कृषि कार्यालयों का निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–सम्बंधित जि0 कृ0 पदाधिकारी)

10. कृषि यांत्रिकरणः–

10.1 राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण द्वारा बतलाया गया कि 160 करोड़ रू की राज्य योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा प्रायोजित "किसान कल्याण अभियान" योजना अन्तर्गत 13 महत्त्वकांक्षी जिलों के 25–25 चयनित गाँवों के लिए योजना तैयार किया गया है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों से चयनित लाभार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

10.2 समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत अभी ऑन लाईन आवेदन नहीं लिया जा रहा है। अभी तक लगभग 40,000 आवेदन प्राप्त हुये है। निदेश दिया गया कि सभी लाभार्थियों का DBT Portal पर पंजीकृत करा लिया जाय, जो कृषक पंजीकृत नहीं होंगे उन्हें अयोग्य करार कर दिया जाएगा।

10.3 कृषि यांत्रिकीकरण योजना से संबंधित सफलता की कहानी रंगीन फोटोग्राफ के साथ सभी जिला को दिनांक 31.08.2018 तक भेजने का निदेश दिया गया। इसे 6 सितम्बर, 2018 के पूर्व नई दिल्ली में आयोजित जोनल कॉफ्रेन्स में भारत सरकार को उपलब्ध कराना है।

10.4 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना अन्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 (कार्यान्वयन वर्ष 2015–16) का अव्यवहृत राशि भारत सरकार को लौटाने एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 (कार्यान्वयन वर्ष 2017–18) की राशि को Revalidate करने का निर्णय लिया गया है।

10.5 कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना से सम्बंधित प्रतिवेदन की मांग विहित प्रपत्र में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों से की गई है। इसे अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कंडिका 10.1 से 10.5 सभी जि0 कृ0 पदाधिकारी)

10.6 सूचित किया गया कि कृषि शक्ति की उपलब्धता सम्बंधी प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 मात्र गया, भभुआ, सीतामढ़ी, बेगूसराय, बांका, पूर्णिया एवं किशनगंज से प्राप्त हुआ है। शेष जिला कृषि पदाधिकारियों को इसे अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इसे 6 सितम्बर, 2018 के पूर्व नई दिल्ली में आयोजित जोनल कॉफ्रेन्स से भारत सरकार को उपलब्ध कराना है।

(अनु0–संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

11. मृदा स्वास्थ्य कार्ड :–

11.1 वर्ष 2017–19 अन्तर्गत प्रति ग्रीड मिट्टी नमूना एकत्रित करने में कम उपलब्धि वाले जिले–नालन्दा–64%, औरंगाबाद–73%, किशनंगज–82%, बेगूसराय–83%, कैमूर–88%, शिवहर–89%, गोपालगंज–90%, है। निदेश दिया गया कि अगले माह तक शत प्रतिशत नमूना एकत्रित कर लिया जाय।

11.2 वर्ष 2017–19 में प्रति ग्रीड संग्रहण के विरूद्ध प्रयोगशाला में मिट्टी नमूना प्राप्ति में कम उपलब्धि वाले जिले–सिवान–50%, मुजफ्फरपुर–53%, मधुबनी–55%, शिवहर–55%, दरभंगा–57%, सारण–59%, है। निदेश दिया गया कि प्रखण्डों से अविलम्ब प्रयोगशाला में मिट्टी नमूना भेजवाना सुनिश्चित किया जाय।

11.3 प्रयोगशाला में मिट्टी नमूना प्राप्ति के विरूद्ध विश्लेषण में कम उपलब्धि वाले जिले यथा–अरवल–11%, भागलपुर–38%, जमुई–43%, औरंगाबाद–46%, मधेपुरा–48%, पूर्वी